साप्ताहिक

पृथ्वी पर हम सब समय माया के यात्री हैं

समय माया

R.N.I. No.: MPHIN/2006/20685

प्रधान संपादक- अजमेरा एस.पी. कुमार
B.COM., M.A., LLB, CAIIB, DLLLW&PM

Webite: www.samaymaya.com
Email: samaymaya@gmail.com
samaymaya@rediff.com

Cell: +91 9425125569
+91 9479535569

(C) All Copyrights reserved with chief editor, do not publish any matter without prior written permission

In case of any dispute, may be solved only in Indore Court Jurisdiction

वर्ष 18 | अंक 06 | प्रति सोमवार, इंदौर, 09 सितंबर से 15 सितंबर 2024 | पृष्ठ 8 | मूल्य 5/- रुपए

देश में जातिगत जनगणना देश की हर तरह की बर्बादी का कारण बनेगी

जातिगत जनगणना सभी शासकीय विभागों देश को भी बांटेगी

जातिगत जनगणना की मांग कर राहुल ने अपनी छवि को किया बर्बाद भविष्य के परिणामों के बारे में नहीं सोचा

वर्तमान में जिस तरह से पूरे देश में जाति का जनगणना की मांग राहुल गांधी कर रहा है उसे शायद भविष्य के परिणामों के बारे में पूरी जानकारी ठीक ढंग से नहीं जबकि स्वयं गांधी जी ने जातिगत जनगणना को रोका था दूसरी तरफ अगर जाति का जनगणना हुई तो स्वाभाविक सी बात है फिर सभी शासकीय विभागों का खंड-खंड जाति के अनुसार विभाजन करने के साथ-साथ देश के खंड-खंड जातिगत जनगणना के आधार पर टुकड़े करने पड़ेंगे।

जातीय जनगणना से किसे होगा नुकसान

1857 की क्रांति के बाद भारत की स्वतन्त्रता के लिए देश में बढ़ती एकता से घबराए अंग्रेजों ने समाज में फूट डालने के लिए जातीय भेदभाव का प्रोपेगेंडा रचा था। उसी आधार पर उन्होंने जातीय जनगणना करवाई थी। लेकिन कांग्रेस और गांधीजी के भयंकर विरोध के कारण 1931 के बाद जातीय जनगणना बंद हो गई थी। उसके 70 वर्ष बाद 2004 में बनी मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने गठबंधन सहयोगियों के दबाव में जातीय-जनगणना फिर शुरू की थी, लेकिन उसके खिलाफ वेद प्रताप वैदिक जैसे कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं ने 'मेरी जाति हिंदुस्तानी'

आंदोलन शुरू किया तो कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने खुद जातीय जनगणना के आंकड़े जारी नहीं होने दिए थे।

हैरानी की बात यह है कि नीतीश कुमार की सरकार ने गांधी जयंती पर ही जातीय जनगणना के आंकड़े जारी किए। उससे ज्यादा हैरानी की बात यह है कांग्रेस भी आज गांधी के सिद्धांतो के विपरीत जातिवादी राजनीति को अपना हथियार चुकी है। उसी कांग्रेस पार्टी ने हाल ही में अपनी हैदराबाद कार्यसमिति की बैठक में जातीय जनगणना का प्रस्ताव पास किया, जिस कांग्रेस पार्टी ने 1931 में जातीय जनगणना का विरोध किया था।

राहुल गांधी ने भी संसद के पिछले सत्र में जाति आधारित जनगणना की मांग रख कर अपनी दादी इंदिरा गांधी की राजनीति को पलट दिया, जिन्होने नारा दिया था- जात पर ना पात पर, इंदिरा गांधी की बात पर, मोहर लगेगी हाथ पर। लगता है राहुल ने महात्मा गांधी, नेहरू, इंदिरा के सिद्धांतो को पूरी तरह तिलांजली दे दी है।

बिहार की जातीय जनगणना पर राहुल गांधी ने लिखा है कि बिहार में 84 प्रतिशत पिछड़े, आदिवासी और दलित हैं। उनके कहने का मतलब यह था कि 16 प्रतिशत स्वर्ण हैं। उनका यह ट्विट पूरी तरह गलत और भ्रम फैलाने वाला है, क्योंकि उन्होंने बिहार के सभी 17 प्रतिशत मुसलमानों को भी पिछड़ों में जोड़ लिया। जबकि अपने ट्विट में उन्होंने सिर्फ दलित, आदिवासी और पिछड़े लिखा है।

अगर राहुल कहते हैं कि 84 प्रतिशत पिछड़े हैं, तो अब इस बात पर तो उन्हें खुद जवाब देना पड़ेगा कि 1937 से 1967 तक कांग्रेस ने बिहार को जो चार मुख्यमंत्री (कृष्ण सिंह, दीप नारायण सिंह, विनोदानंद झा और कृष्ण वल्लभ सहाय) दिए उनमें से कोई भी पिछड़ी जातियों का क्यों नहीं था। पिछड़ी जातियों के साथ अन्याय तो बहुत पहले से हो रहा है। 1931 की जनगणना में भी पिछड़ों की आबादी ज्यादा थी।

भारतीय जनता पार्टी का यह मानना है कि जाति आधारित जनगणना हिंदू समाज को तोड़ने की साजिश का हिस्सा है, आज़ादी से पहले कांग्रेस और गांधी भी यही मानते थे। तीन अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बस्तर में दिए अपने भाषण में कहा है कि कांग्रेस ने सोचना समझना बंद कर दिया है, उसने सोचने समझने और नीतियाँ बनाने का काम आउटसोर्स करना शुरू कर दिया है। उनका इशारा यह था कि कांग्रेस की जातीय जनगणना की राजनीति लालू यादव और नीतीश कुमार को आउटसोर्स की हुई है।

जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने कहा था कि देश के आर्थिक संसाधनों पर पहला हक अल्पसंख्यकों का है।

(शेष पेज 3 पर)

भारतीय स्टॉक मार्केट को बर्बाद करने मोदी ने हर षड्यंत्र किया

घोर भ्रष्ट माधवी बुच ने मोदी व अडानी के लिए डुबोये जनता के 50 लाख करोड़

लगातार स्टॉक एक्सचेंज के 500 कर्मचारी अधिकारी शिकायत भेज रहे पर डकैती के विरुद्ध कोई सुनवाई नहीं।

भारत का मुंबई स्टॉक एक्सचेंज जिस तरीके से ऊंचाइयों को लाया गया उसे स्पष्ट चालीसा की षड्यंत्र और अपने मित्रों के शेयर को ऊपर चढ़ाने का खेल पिछले 10 साल से जनता लगातार देख रही है। किस प्रकार से जलसा जी कर महाभिभुज जो एक साधारण आइसीआइसीआइ बैंक की कर्मचारी थी को उठाकर पहले मुंबई स्टॉक एक्सचेंज का सदस्य बनाया गया और बाद में उसको पूर्ण काली का अध्यक्ष बना दिया गया। जिसका मूल उद्देश्य ही मोदी और मोदी के मित्रों केशेयर्स को ऊपर चढ़ाई रखना था।

यह खबर असाधारण है। सेबी के चेयरपर्सन माधबी पुरी बुच के कारनामों के नित नए खुलासों के बीच कल खबर आई कि सेबी के 500 से अधिक स्टाफ को भी अपने बॉस माधबी पुरी बुच और टॉप मैनेजमेंट से काफी शिकायतें हैं। मिडिल मैनेजमेंट संभालने वाले सैकड़ों सेबी स्टाफ ने यह शिकायत किसी और को नहीं सीधे वित्त मंत्रालय को लिखित में भेजी है।

अपने पत्र में उनका कहना था कि सेबी के शीर्ष नेतृत्व के कारण विषाक्त माहौल बन गया है। कर्मचारियों को असाधारण लक्ष्य दिए जाते हैं और उन्होंने निगरानी की व्यवस्था की आलोचना की है।

इतनी बड़ी संख्या में किसी संस्थान के कर्मचारियों के द्वारा लिखित शिकायत को किसी भी संवेदनशील सरकार को बेहद गंभीरता से लेना चाहिए, विशेषकर यह ध्यान में रखते हुए कि मौजूदा सेबी प्रमुख माधबी पुरी बुच के खिलाफ कथित भ्रष्टाचार, पद के दुरुपयोग और एक खास कॉर्पोरेट समूह के हित में सेबी में नीतिगत फैसले लेने के गंभीर आरोप लगाये गये हैं। सिक्यूरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ़ इंडिया (सेबी) कोई प्राइवेट संस्था नहीं है, बल्कि यह भारत सरकार के तहत वित्त मंत्रालय का एक बेहद अहम संस्थान है,

(शेष पेज 3 पर)

मोदी के चीन प्रेम ने देश के उद्योगों को किया बर्बाद

पिछले 10 साल में चीन से 6 गुना आयात ने अर्थव्यवस्था बिगाड़ी

मोदी की सफाई कैशलेस नोटबंदी जीएसटी और तालाबंदी ने लगभग 2 करोड़ उद्योग धंधों दुकानों को महंगाई और नगदी की कमी से मार खत्म कर दिया।

मोदी का चीन प्रेम जब वह 96 से मुख्यमंत्री बना तो भाई चार बार चीन की यात्रा पर गया और वहां से चीनी उद्योग धंधों को लाकर पूरे गुजरात के सारे उद्योग धंधों फार्मा मेडिकल हीरा कटिंग टेक्सटाइल वस्त्र साड़ियां खिलौने स्पेयर पार्ट्स टाइल्स स्टील नमक आदि के उद्योगों को बर्बाद कर दिया। देश में सत्ता हथियाते ही अपने पूंजीपति मित्रों व चीन के फायदे के लिए सफाई कैशलेस नोटबंदी जीएसटी और तालाबंदी लादकर छोटे-मोटे दो करोड़ से ज्यादा उद्योग धंधों दुकानों बाजरो मंडियों को खत्म कर 40 करोड लोगों को बेरोजगार कर दिया।

चीनी आयात से भारतीय एमएसएमई को नुकसानः जीटीआरआई रिपोर्ट

थिंक टैंक जीटीआरआई के

अनुसार छतरियों, खिलौनों, कुछ खास कपड़ों और संगीत वाद्ययंत्रों जैसे सामानों का बढ़ता आयात एमएसएमई को बुरी तरह प्रभावित कर रहा है, क्योंकि इनमें से कई उत्पाद घरेलू व्यवसायों द्वारा भी बनाए जाते हैं।

रिपोर्ट में कहा गया है कि जनवरी से जून 2024 के दौरान भारत ने केवल 8.5 बिलियन अमरीकी डॉलर मूल्य के सामान का निर्यात किया, जबकि आयात 50.4 बिलियन अमरीकी डॉलर रहा, जिसके परिणामस्वरूप 41.9 बिलियन अमरीकी डॉलर का व्यापार घाटा हुआ।

यह कम निर्यात और अधिक आयात चीन को भारत का सबसे बड़ा व्यापार घाटा भागीदार बनाता है।

ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव (GTRI) के संस्थापक अजय श्रीवास्तव ने कहा, 'भारत के औद्योगिक सामान आयात में चीन का हिस्सा 29.8 प्रतिशत है। भारत को चीन से महत्वपूर्ण औद्योगिक उत्पादों के आयात पर निर्भरता कम करने के लिए गहन विनिर्माण में निवेश करना चाहिए।'

(शेष पेज 3 पर)

अवैध व्यापार, सत्ता, नेता का चोली दामन का गठजोड़

संपादकीय

भारतमें में व्यवसाय करनाअत्यधिक दूबर है जब तक व्यापारी उद्योगपति अवैध व्यवसाय अर्थात कर, बिजली, निर्धारित से कम वेतन, पानी व अन्य प्रकार की चोरी, खनन, दरों में लूट, सभी प्रकार के लागू कानूनों का उल्लंघन नहीं करेंगे। भारत में व्यवसाय करना मुश्किल है एक उद्योगपति से मेरी बात हुई तो उसने बताया एक करीबन 36 प्रकार के निरीक्षक उनके यहां महीना लेने आते हैं। इसके अतिरिक्त गली मोहल्ले के गुंडो को महीना देने के साथ-साथ क्षेत्र के पार्षद, विधायक, सांसद और विपक्षी दलों के नेताओं, पत्रकारों आदि को भीचंदे के नाम पर धन बांटना पड़ता है। अगर नहीं बाटेंगे तो भी हमको कहीं ना कहीं भूल जाएंगे जिससे न केवल बद्नामी भी होगी, व्यवसाय में भी दिक्कतें आएगी फिर मजदूरों कर्मचारियों का वेतन किराया बिजली पानी नगर निगम कचरे एक का बिल व अन्य प्रकार के भुगतान देने में भी तकलीफ आती है। तो ईमानदारी से काम करके तो वक्त की रोटी नहीं खाई जा सकती। तो फिर सबको पालने के लिए अवैध काम करना आवश्यक है।

इसके लिए स्वयं केंद्र व राज्य सरकारों ने बिना उद्योगपति व्यापारी कीसहमति और पूछताछ के इतने सारे कानून लाज रख हैं कि उनका पूरा करना संभव ही नहीं यदि उनका पूरा करने बैठ जाएंगे तो उद्योग धंधा व्यापार भी संभव नहीं होगा। यह कहानी केवल बड़े व्यवसाईयों उद्योगपतियों की ही नहीं सड़क पर बैठकर व्यवसाय करने वालों से लेकर ठेले वालों तक को बीट की पुलिस, नगर निगम के सफाई कर्मचारी दरोगा तक को हर दिन दो रु. 500 का भुगतान करना ही पड़ता है। इसके बाद में भी वह बहुराष्ट्रीय कंपनियों के इशारे पर नाच हाइजीन सफाई और ट्रैफिक के नाम पर हमारे ठेले तोड़ते-फोड़ते और दुकानों का माल भरकर ले जाते हैं जब सरकार की औकात नहीं हमको रोजगार देने की जो रोजगार हम कर रहे हैं व्यवस्थित तरीके से करने के लिए स्वयं सरकार को सड़कों पर दोनों तरफ जस्टिस फूड की पट्टी बनाकर देनी चाहिए ताकि हम अपना व्यवसाय कर सरकार को भी टैक्स देने के बाद नगर निगम और पुलिस के भुखेरों को भी टुकड़ा डालकर पाल सकें। आपने देखा पिछले सप्ताह सब समय माया ने लगाया था कि किस प्रकार जीएसटी चोरी करवाने के लिए पूरा सिंडिकेट जो लगभग प्रदेश के अंदर प्रतिदिन 20000 ट्रक व 10000 बसों में प्रदेश के 40 अंतर राज्य मार्ग को छोड़कर भी जो 200 से ज्यादा छोटे अंतर राज्यीय मार्ग हैं।

वहां से 15 सौ से ज्यादा वस्तुओं का माल बिना बिल बिल बिल्टि ढुलाई करता है। जब मामलों की सूचना ट्रक नंबरों के साथ उसकी पूरी मित्र की जानकारी सड़क पर का समय केंद्र व राज्य सरकार के जीएसटी को दी गई। परंतु हरामखोरों ने कोई कार्यवाही नहीं की क्योंकि सबको ऊपर से ही महिना मिल रहा है इसलिए वह कार्यवाही करेंगे भी कैसे? यही कारण है की भू कालोनी ड्रग शराब शिक्षा स्वास्थ्य बीमा बैंकिंग योनाचार पेट्रोल, डीजल, गैस, कृषि उद्यानिकी विपणन आदि के साथ सरकारी योजनाओं निर्माण कार्य अनुदान आदि में 80% तक फर्जीवाड़ा करवा कर मोटी कमाई की जाती है। राजनीति और व्यापार का चोली दामन का साथ है। व्यापारी के बिना राजनीति नहीं चल सकती और राजनीति के बिना व्यापार नहीं चल सकता। कई बार व्यापारी अपने फायदे के लिए राजनीतिको को पालते हैं या उनको स्पॉन्सर करते हैं। कई बार देश सेवा के लिए भी होता है जैसे कि भामाशाह का उदाहरण हम लोगों के सामने हमेशा रहा है। आजादी के पहले कांग्रेस के सभी नेता और कांग्रेस को भी धन की जरूरत पड़ती थी। ऐसे में चंदा इकट्ठा होता किंतु बड़े बड़े व्यवसाई उस समय भी शायद व्यापार से ज्यादा देश के प्रति अधिक जिम्मेदारी महसूस करते थे, जो कि सरकार के विरोध में जाकर भी आजादी की लड़ाई लड़ रहे संगठन को पैसे से मदद करते थे। मोतीलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू ने अपनी संपत्ति में से देश के लिए क्या क्या दिया यह व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले तो नहीं बताते हैं, हमें पता है हम हमेशा छाप देते हैं। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के पीएचडी धारक लोगों के अनुसार नेहरू ने देश का खूब माल बनाया तो उनके लिए छोटी सी एक बात बताना चाहता हूं।

टाटा बिरला नाम सुनकर बड़े हुए हैं तो बिरला का जानते होंगे। घनश्याम दास बिरला ने देश की आजादी की लड़ाई में कांग्रेस की खूब मदद की। व्यापार के साथ-साथ देश सेवा भी की। आपके आज के महात्मा व्यापारियों की तरह जंगल,अस्पताल और स्कूल की जमीन हड़प कर उसमें अपने व्यवसायिक अस्पताल और स्कूल से माल नहीं कमाया। घनश्याम दास बिरला किस-किस को कहां-कहां पैसे दिए यह सब कोई चीज छुपी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा रीफ्रेश हो जाइए और यह ध्यान दीजिए कि पंडित नेहरू के बारे में घनश्याम दास बिरला क्या कहते थे। घनश्यामदास बिड़ला ने कहा था कि देश के हर राष्ट्रीय नेता ने उनसे पैसे लिए हैं, गांधीजी , सरदार पटेल तक हर किसी ने।

एक नेहरू को छोड़ कर। जयप्रकाश नारायण को दी गई मासिक रकम को वे डायरी में सेक्रेटरी को दिया, ऐसा लिखते थे। नेहरू को हिंदू विरोधी है कहकर खूब प्रचारित किया जाता है लेकिन नेहरू जी सिंहासन पर बैठे थे वह उसके प्रति प्रतिबद्ध थे वह एक ऐसे देश के सिंहासन पर विराजमान थे जिस की जनता ने एक धर्मनिरपेक्ष विचारधारा वाली पार्टी को चुना था अपने कर्तव्य के प्रति पूरी तरह सजग थे। सोमनाथ मंदिर का तुरंत जीर्णोद्धार करवाया गया जिसके लिए सभी नेता तत्पर थे और जनता के पैसे से इसे तुरंत बनवाना चाहते थे इसके लिए उन्होंने चीनी के दाम दुगने करवा दिए।

नेहरू जी सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए राष्ट्रपति राजेंद्रप्रसाद, सरदार पटेल, कृष्णामाचारी इत्यादि सभी नेताओं द्वारा चीनी का दाम दुगना करने पर बहुत नाराज थे, बढ़ी हुई कीमतों में से आधा मुनाफ़ा चीनी मिल मालिकों और आधा पैसा सोमनाथ मंदिर के लिए लिया गया था। नेहरू जी शासन और धर्म को अलग रखना चाहते थे। वे जानते थे कि कॉंग्रेस में अधिकांश लोग अपने अपने व्यक्तिगत धार्मिक रुझान वाले हैं, जो कि शुरुआत से ही एक गलत उदाहरण पेश करेंगे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बंदरों को विशेष दर्ज़ा देना चाहते थे, गाय की तरह, क्योंकि वे उन्हें बजरंग बली के सैनिक मानते थे। राष्ट्रपति भवन में उन्होंने काफी बन्दर मंगवा लिए थे, जो दिन रात उधम चौकड़ी मचाते। कोई भी शासक अपने व्यक्तिगत धर्म या मत को जनता पर थोपे तब वह देश को गर्त में ले ही जाएगा। धर्म सब का व्यक्तिगत मामला होता है जिसको पूजा पाठ करनी हो, नमाज अदा करना हो या प्रेयर करना हो वो अपने पैसे से करें, तीर्थ करना हो अपने पैसे से करें, हज करना अपने पैसे से करें। यह सरकार का काम नहीं होना चाहिए सरकार के पैसे लोगों की दवाई रोजगार शिक्षा में जाने चाहिए। जिस देश की जनता खुद आगे बढ़कर यह मांग करें वह देश हमेशा विकसित रहेगा। बाकी यदि मंदिर मस्जिद चर्च गुरुद्वारे के बाहर बैठकर भीख मांगने हो तो कोई बात नहीं।

अधिकार न होने के बाद भी आयुक्त, महापौर नेता करते हैं लूट का तांडव

पेज 8 का शेष

यह नाथू नगर निगम के न्यायालय ने बताया और ना विशेष न्यायाधीश ने बताया और ना वह कानून की धाराएं बताये जिसमें मानव अधिकारों का उल्लंघन कर अपने जीवन यापन के लिए संवैधानिक अधिकारों का उपयोग कर ईमानदारी और मेहनत से जीवन यापन करने के लिए छोटे-मोटे सामानों सब्जी भाजी आदि की बिक्री कर व्यवसाय करने वालों को सरकारी डकैतों लुटेरों की तरह आकर गुंडागर्दी करते हुए बिना बातचीत किए समझाएं या सड़क पर खड़े रहने की सीमा निर्धारित किये दिन भर उन पग मार्गो व ठेले पर व्यवसाय करने वालों से वसूली करने लूटने के बाद भी चाहे जब उनकी दुकान समेट माल भरकर ठेले तोड़कर ठेले भरकर ले जाए जाते हैं। बेशक यातायात प्रभावित करते हैं, सड़क घेरते हैं। जो भारत की धरती पर भारत के पौराणिक इतिहास में अनादि काल से हाट बाजारों की परंपरा चल रही है। जो भारतीय सामाजिक अप व्यवसायिक जीवन का मूल आधार है। जिसे बहुराष्ट्रीय कंपनियों से मोटा कमीशन ले उनके लाभ के लिए उनके इशारे पर नाच हमारे देश का वाचाल जाहिल घर स्वार्थी और मक्कार मोदी सन 2014 के सत्ता संभालने बाद से विभिन्न षड़यंत्रों जिसमें सफाई कैशलेस नोटबंदी जीएसटी तालाबंदी के माध्यम से देश की 10 करोड़ से ज्यादाऐसे गरीब व्यवसाईयों का जीवन नष्ट करने पर तुला है। जिसे जनता को आवाज उठाकर रोकना चाहिए। क्योंकि वे सभी मानव है उन्होंने हमारे साथ जन्म लिया है और उनको भी ईमानदारी और मेहनत से अपने जीवन यापन करने का संवैधानिक अधिकार है।

छह साल पहले निगम ने वेयर हाउस रोड पर एक दुकान में छापा मारकर जब्त की थी पॉलिथीन, स्पेशल कोर्ट ने खारिज किया केस, फैसले में कहा-

निगम के खाद्य निरीक्षकों के अधिकार क्षेत्र में पॉलिथीन की जांच और कार्रवाई शामिल नहीं

इंदौर (डीबी स्टार)

नगर निगम के खाद्य निरीक्षक अमानक पॉलिथीन को लेकर कार्रवाई नहीं कर सकते। इन खाद्य निरीक्षकों के अधिकार क्षेत्र में पॉलिथीन की जांच और कार्रवाई के अधिकार शामिल ही नहीं हैं। कोर्ट के एक फैसले से ये बातें साफ हो गई। छह साल पहले निगम के खाद्य निरीक्षक ने अमानक पॉलिथीन जब्त की थी। इस मामले में कोर्ट ने केस खारिज कर दिया है। अब यह मामला एक नजीर के रूप में देखा जा रहा है, जो प्रशासनिक अधिकारियों के अधिकारों और कर्तव्यों की सीमाओं को स्पष्ट करने में मदद करेगा।

घटना दिसंबर 2008 की है। तब नगर निगम के खाद्य निरीक्षक गौतम भाटिया ने वेयर हाउस रोड पर एक कॉम्प्लेक्स में ट्रेडर्स की दुकान पर छापा मारा था। तब उन्हें प्लास्टिक की थैलियां मिली थीं। भाटिया ने पाया कि थैलियों की मोटाई 20 माइक्रोन से कम थी, जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत निषिद्ध है। तब भाटिया ने तीन पैक पॉलिथीन के नमूने लेकर उन्हें सील किया और दुकानदार की उपस्थिति में पंचनामा बनाया था। उन्होंने दुकान में रखी 270 किलो पॉलिथीन भी जब्त की थी। इसके बाद विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट, खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी की कोर्ट में चालान पेश किया गया। दुकानदार ने कोर्ट में पेश किए गए दस्तावेज और साक्ष्यों के आरोपों को अस्वीकार किया और कहा कि वो निर्दोष है। उसे झूठा फंसाया गया। दुकानदार ने अपनी दलील में यह भी कहा कि खाद्य निरीक्षक भाटिया को पॉलिथीन जांचने का अधिकार नहीं है। उन्होंने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर यह कार्रवाई की है। कोर्ट ने मामले की समीक्षा की। इसके बाद कोर्ट ने 23 अगस्त को दिए गए फैसले में कहा कि भाटिया की नियुक्ति खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम 1954 के तहत हुई थी, जो खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और सुरक्षा से संबंधित है, न कि पॉलिथीन या पर्यावरण संरक्षण से संबंधित मामलों से। अदालत ने यह भी माना कि भाटिया द्वारा कोर्ट पेश किए गए गजट नोटिफिकेशन में केवल खाद्य निरीक्षक के अधिकार और कर्तव्य निर्धारित किए गए थे। इनमें पॉलिथीन की जांच का कोई उल्लेख नहीं था। इस कारण कोर्ट ने इस मामले में केस खारिज कर दिया और यह निर्णय दिया कि खाद्य निरीक्षक द्वारा की गई यह कार्रवाई अवैध थी।

सैंपल की जांच में मानक स्तर की निकली थी पॉलिथीन

दरअसल, खाद्य निरीक्षक ने सैंपल की जांच करवाई थी। इसमें पाया कि पॉलिथीन कैरी बैग का नमूना 24 माइक्रोन मोटाई का और 50 पॉलिथीन कैरी बैग का वजन 54.88 ग्राम था। जांच रिपोर्ट के अनुसार, आकार और मोटाई तय मानकों के अनुसार थी, लेकिन 50 बैग का वजन 54.88 ग्राम था। यह वजन मानक से कम बताया गया था। इसलिए मामला आगे की कार्रवाई के लिए मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी के माध्यम से प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सरकारी विश्लेषक को भेजा गया। उन्होंने इसे वापस कर दिया और कहा कि संबंधित जानकारी उज्जैन के सरकारी विश्लेषक से ली जाए। फिर उज्जैन पत्र भेजा गया, लेकिन वहां से कोई स्पष्ट राय नहीं मिली, बल्कि 1999 के रिसाइकल्ड प्लास्टिक नियमों की प्रति भेज दी गई। इसके बाद निगमायुक्त से अभियोजन की स्वीकृति लेकर आरोपियों के खिलाफ खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम 1954 के तहत चालान पेश कर दिया था।

अधिकार क्षेत्र से बाहर जाने पर बढ़ती हैं पेचीदगियां

इस मामले ने प्रशासनिक प्रक्रिया और अधिकारियों के अधिकारों के बारे में गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि इस घटना ने यह स्पष्ट कर दिया है कि अधिकारियों को अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर ही कार्रवाई करना चाहिए। उन्हें उन मामलों में दखल नहीं देना चाहिए, जिनमें उनके पास कानूनी अधिकार नहीं है। यदि अधिकारियों को उनके अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में सही जानकारी नहीं होती है तो इससे कानूनी समस्याएं खड़ी हो सकती है, जैसा इस मामले में हुआ।

जातिगत जनगणना सभी शासकीय विभागों देश को भी बांटेगी

पेज 1 का शेष

लेकिन अब राहुल गांधी कह रहे हैं कि पिछड़ी जातियों को उनकी संख्या के आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस की वक्त के साथ बदलती नीति की तरफ भी देश का ध्यान आकर्षित किया है।

2011 में मनमोहन सरकार ने जाति आधारित जनगणना के कुछ आंकड़े जुटाए थे, लेकिन बाद में उन अधूरे आंकड़ों को जारी नहीं किया गया। खुद प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने संसद में कहा था कि जातीय जनगणना के आंकड़े अधूरे हैं, इसलिए उन्हें जारी नहीं किया जा सकता। 2014 में जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो केंद्र सरकार ने सुप्रीमकोर्ट में हल्फिया बयान देकर कहा था कि 2011 की जनगणना में जाति आधारित आंकड़े अधूरे हैं, लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं कि मनमोहन सरकार के समय एकत्र किए गए आंकड़े जारी किए जाएं, नहीं तो कांग्रेस उन्हें जारी कर देगी।

खुद को गांधीवादी कहने वाले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने प्रदेश में जाति आधारित जनगणना करवा कर और उसके आंकड़े जारी करके गांधी की आत्मा को ठेस नहीं

पहुंचाई क्या, जिन्होंने यह कह कर जाति आधारित जनगणना का विरोध किया था कि यह हिन्दुओं को बांटने की साजिश है। अगर उन्हें बिहार के गरीबों की चिंता होती तो वह गरीब परिवारों की जनगणना करवाते, उसमें जाति और मजहब का ख्याल बिल्कुल नहीं किया जाता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जातीय जनगणना के खिलाफ स्पष्ट स्टैंड लेते हुए तीन अक्टूबर को कहा कि जातीय जनगणना समाज की एकता को तोड़ने की भारत विरोधी ताकतों की साजिश है। उनकी नजर में अमीर और गरीब, दो ही जातियां है, जो भी लड़ाई लडनी है, वह गरीबों को न्याय दिलाने के लिए लड़नी है, इसलिए उनकी सरकार ने आर्थिक तौर पर पिछड़ों को दस प्रतिशत आरक्षण दिया है। बिहार में ताजा जातीय जनगणना का अर्थ समझ नहीं आ रहा, यह किसलिए की गई है, क्या सारी पिछड़ी जातियां आर्थिक रूप से भी पिछड़ी हैं, क्या आज़ादी के बाद उनकी आर्थिक स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। क्या 1990 से शिक्षा और नौकरियों में आरक्षण के बावजूद उनका शैक्षणिक विकास नहीं हुआ। सवाल यह पैदा होता है कि लालू यादव और उनकी पत्नी राबडी देवी के 15 साल मुख्यमंत्री रहने और नीतीश कुमार के 15 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद भी अगर बिहार की पिछड़ी जातियों का विकास नहीं हुआ, तो क्या वह अपनी असफलता गिना रहे हैं।

जाति जनगणना का क्या होगा राजनीतिक परिणाम?

जातीय जनगणना का एक ही मकसद दिखाई देता है कि ओबीसी का आरक्षण कोटा बढाने की मांग को लोकसभा चुनावों में जोरदार ढंग से उठा कर ओबीसी का वोट हथियाया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने 50 प्रतिशत आरक्षण की सीमा तय की हुई है। जबकि नीतीश सरकार ने सुप्रीमकोर्ट में खुद कहा था कि यह जाति आधारित जनगणना नहीं, जाति आधारित सर्वे है। इसलिए नीतीश कुमार और लालू यादव का मकसद सिर्फ राजनीतिक है। उन्हें लगता है कि सुप्रीमकोर्ट से आरक्षण का कोटा बढ़ाने की अनुमति मिले न मिले, उन्हें चुनावों में राजनीतिक फायदा होगा। सवाल यह है कि पिछले लोकसभा चुनावों में जिन 44 प्रतिशत पिछड़ों ने भाजपा को वोट था, क्या जातीय जनगणना के बाद वे भाजपा को वोट नहीं देंगे। अगर नहीं देंगे, तो क्यों नहीं देंगे। जनगणना से तो किसी की आर्थिक स्थिति सुधरने से रही, लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार तो सरकार की नीतियों से आएगा, और वह पिछले पांच साल में मोदी सरकार की नीतियों से आया भी है, क्योंकि देश में प्रति व्यक्ति आय में अच्छी खासी बढौतरी हुई है, जिनमें सभी जातियां आती हैं।

पिछड़ी जातियों और अति पिछड़ी जातियों को इन्साफ की कुंजी रोहिणी कमेटी की सिफारिशों में रखी है। मोदी सरकार अगर संसद के अगले सत्र में रोहिणी कमेटी की सिफारिशों को संसद के पटल पर रख देगी, तो पिछले 23 साल से आरक्षण का फायदा उठाने वाली कुछ गिनी चुनी पिछड़ी जातियों की पोल खुल जाएगी। 10 प्रतिशत पिछड़ी जातियों ने नौकरियों में आरक्षण का पच्चीस फीसदी हिस्सा हड़प लिया। 25 प्रतिशत पिछड़ी जातियों ने आरक्षण का 97 फीसदी हिस्सा हड़प लिया।

983 पिछड़ी जातियों को न नौकरियों में आरक्षण का कोई फायदा हुआ, न शिक्षा के क्षेत्र में, फिर आरक्षण का कोटा बढ़ने से उनका क्या फायदा होगा। तो अब जरूरी हो गया है कि 23 साल में आरक्षण का फायदा उठाने वालों को आरक्षण के फायदे से वंचित करके आरक्षण से बाहर किया जाए। इस सर्वे से वैसे भी बिहार के यादव बड़ी मुश्किल में फंस गए हैं, एक तो राज्य में सत्ता और आर्थिक संसाधनों का सबसे ज्यादा फायदा उन्हीं ने उठाया था, ऊपर से ताजा आंकड़ों में यादवों की संख्या मुसलमानों से कम निकल आई है। इस जनगणना ने राजनीतिक तौर पर भी यह साबित कर दिया कि 2005 में राम विलास पासवान के लालू यादव के सामने समर्थन के लिए मुस्लिम को मुख्यमंत्री बनाने की शर्त ठीक ही रखी थी, क्योंकि जिस मुस्लिम यादव गठबंधन के नाम पर लालू सत्ता हासिल करते थे, उसका फायदा तो यादव उठाते थे, जबकि सत्ता मुस्लिम वोटरों के बूते हासिल करते थे।

भारतीय स्टॉक मार्केट को बर्बाद करने मोदी ने हर षड्यंत्र किया

पेज 1 का शेष

जिसका काम भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के प्रशासनिक क्षेत्र के अंतर्गत भारत में प्रतिभूति एवं कमोडिटी बाजार के लिए नियामक निकाय के बतौर काम करने का है।

इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1988 को एक कार्यकारी निकाय के तौर पर की गई थी और इसे 30 जनवरी 1992 को सेबी अधिनियम, 1992 के माध्यम से वैधानिक शक्तियां हासिल हुई थीं।

इसके महत्व का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसके अधीन देश में आज 15 करोड़ लोग डीमैट अकाउंट के माध्यम से अपने जीवनभर की जमापूंजी शेयर बाजार में लगाते हैं, जो बाजार की अनिश्चितता और बाजार में हर्षद मेहता और केतन पारीख जैसे बड़े घोटालेबाजों की वजह से समय-समय पर डुबो सकते हैं।

बिजनेस इंडिया नामक पत्रिका ने अपने ताजे अंक में बाजार में रिटेल निवेशकों की भारी आमद पर कवर स्टोरी की है। अपने लेख में बिजनेस इंडिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उद्धत करते हुए बताया है कि पिछले 10 वर्षों में 2.3 करोड़ डीमेट अकाउंट की संख्या बढ़कर 15 करोड़ हो चुकी है। जिसे पीएम मोदी भारतीय शेयर बाजार में भारतीय निवेशकों की अटूट निष्ठा के तौर पर देख रहे हैं। इसी प्रकार पीएम मोदी म्यूचुअल फंड के बारे में दावा करते हैं कि 2014 में जहां मात्र 1 करोड़ म्यूचुअल फंड निवेशक थे, वे अब बढ़कर 4.5 करोड़ हो चुके हैं। इस प्रकार, पीएम मोदी इसे घरेलू निवेशक आधार में व्यापक विस्तार के तौर पर पेश कर रहे हैं।

हम सभी जानते हैं कि शेयर बाजार में क्या तेजी चल रही है। देखते ही देखते शेयर बाजार कहां से कहां पहुंच गया है। विदेशी संस्थागत निवेशक और पोर्टफोलियो भारतीय शेयर बाजार छोड़कर निकल रहे हैं, लेकिन घरेलू निवेशकों और म्यूच्यूअल फंड निवेशकों की ऐसी बाढ़ आई हुई है कि कोयला भी सोना बनकर दमक रहा है।

इसका अंदाजा हाल ही में तब लगा जब एक कंपनी, रिसोर्सफुल ऑटोमोबाइल ने 22 अगस्त 2024 को अपना आईपीओ बाजार में निकाला, जिसमें 117 रूपये में 10.2 लाख शेयर बाजार में निकाले गये थे। प्रोमोटर को इस आईपीओ के माध्यम से 12 करोड़ रूपये की पूंजी चाहिए थी।

लेकिन जानते हैं बाजार ने इस आईपीओ के लिए कितने बड़े स्तर पर खुद को प्रस्तुत कर दिया? 4,800 करोड़ रूपये, अर्थात 400 गुना।

जब इस कंपनी के बारे में खंगाला गया तो पता चला कि इस कंपनी में मात्र 8 कर्मचारी काम करते हैं, और उससे भी हैरत की बात यह थी कि यह कोई कंपनी-वंपनी नहीं थी, बल्कि इसके मालिक का बाइक का मात्र दो शोरुम था। अगर यह तथ्य रिटेल निवेशकों को पहले से पता होती, तो क्या यह आईपीओ 100इ भी सब्सक्राइब हो पाता?

लेकिन यह तो 400 गुना सब्सक्राइब हो गया। सेबी का यही काम है, लेकिन वह क्या कर रही है, यह तो सिर्फ सरकार ही बता सकती है, जिसने नियमावली का स्वंय उल्लंघन कर 2 मार्च, 2022 को गैर प्रशासनिक अधिकारी को पहली बार सेबी का चेयरपर्सन बना डाला। जी हां, माधबी पुरी बुच की नियुक्ति ही सवालों के घेरे में है। माधबी के साथ 8 लोग और हैं, जो सेबी बोर्ड के सदस्य हैं, जो 4 ट्रिलियन डॉलर से भी अधिक भारतीय पूंजी बाजार का संचालन देखते हैं।

हाल के वर्षों में डीमेट अकाउंट खोलने की होड़ में उत्तर प्रदेश के लोग सबसे आगे देखे गये हैं। ये नये रिटेल निवेशक वे हैं, जिन्हें बैंक या अन्य निवेश में रिटर्न नहीं मिल रहा है, और छोटे और मझोले उद्योगधंधों के लिए भारत में अब कोई स्थान नहीं बचा।

90 के दशक से चीनी सस्ते माल के आयात की जो शुरुआत हुई, उसने गुजराती व्यवसाइयों को सबसे पहले मालामाल करना शुरू किया, जिसे पिछले 10-12 वर्षों से शेष भारत ने भी धड़ल्ले से अपना लिया है। 2016 में नोटबंदी और उसके बाद जीएसटी तथा 2020 में कोविड-19 महामारी ने छोटे और मझौले उद्योगों की कमर तोड़ दी है।

भारत में उद्योग खोलने के लिए लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन, पीएफ, ईएसआई, जीएसटी में रजिस्ट्रेशन से लेकर लेबर कमिश्नर सहित महंगी बिजली, प्रदूषण नियंत्रण सर्टिफिकेट जैसे न जाने कितने झंझट हैं, जिससे पार पाकर यदि कोई काम करने की सोचे भी तो भारत सरकार की आयात-निर्यात नीति के चलते उसका कंगाल होना अवश्यंभावी है।

ऐसे में, अपनी पूंजी को इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट में लगाकर मुनाफा कमाने और जो बच गये हैं, उनके लिए विकल्प के अभाव में शेयर बाज़ार में अंधाधुंध निवेश ही एकमात्र विकल्प बचता है।

सोचिये, महज 6% संगठित बाजार की मार्किट वैल्यू 4 ट्रिलियन डॉलर से ऊपर जा चुकी है, जबकि भारत की जीडीपी अभी भी 4 ट्रिलियन डॉलर को नहीं छू सकी है। इस अंधेरगर्दी को बढ़ाकर ही मौजूदा सरकार खुद को विश्व की सबसे तेजी से विकसित होने वाली अर्थव्यवस्था बता रहा है। यही वह आखिरी उम्मीद है, जिसके बल पर बगैर पूंजी निवेश किये ही कॉर्पोरेट भारी मुनाफाखोरी कर रहा है।

भारतीय स्टॉक मार्किट को फुलाते रहने और इसे किसी भी सूरत में फुस्स न होने देने के पीछे बाज़ार की बड़ी ताकतों के साथ-साथ हमारी सरकार का भी बड़ा स्वार्थ है, जिससे उसे आवश्यक प्राणवायु प्राप्त हो रही है।

शायद इसीलिए उसे माधबी पुरी बुच के ऑफशोर एफपीआई में करोड़ों रूपये के निवेश या सेबी की 2017 से होलटाइम डायरेक्टर बनने के बाद भी एक निजी बैंक से हर माह दो-दो सैलरी उठाने से भी कोई परहेज नहीं है।

इस बेहद महत्वपूर्ण पद पर रहते हुए माधबी पुरी बुच ने किस प्रकार अपने पति की अमेरिकी कंपनी के बांड के लिए आगे बढ़कर सेवाएं प्रदान की हैं, इसकी कहानी हाल ही में भारतीय समाचारपत्रों में आकर बिला चुकी हैं।

सेबी की वेबसाइट पर झांकने पर पता चलता है कि इसके करीब 3000 कर्मचारी हैं, जिन्हें वित्त मंत्रालय के तहत अपने कर्तव्य का निर्वहन करने की जिम्मेदारी है। इसमें बड़ी संख्या में लोअर एंड मिडिल मैनेजमेंट में काम करने वाले लोग युवा हैं, जिनमें से अधिकांश फाइनेंस और एमबीए डिग्रीधारी हैं।

पत्र में उनकी शिकायत है कि सेबी में कार्यदक्षता बढ़ाने के नाम पर प्रबंधन ने हाल के वर्षों में सिस्टम में कई बदलाव कर दिए हैं, और प्रतिगामी नीतियां लागू की गई हैं। इसके साथ ही पत्र में कहा गया है कि पिछले 2-3 वर्षों में सेबी में डर मुख्य प्रेरक शक्ति बन गया है।

इन अधिकारियों का यह भी कहना है कि वरिष्ठ प्रबंधन अक्सर उन्हें उनके 'नाम से पुकारता है' और उनके ऊपर 'चिल्लाता है', जिससे कार्यस्थल में दमनकारी वातावरण निर्मित होता है।

इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, करीब 50% सेबी अधिकारियों ने बाजार नियामक के नेतृत्व पर कार्यस्थल में विषाक्त वातावरण को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है।

वित्त मंत्रालय को भेजे गए एक पत्र के अनुसार, सेबी कर्मचारियों ने आरोप लगाया है कि 'मीटिंग्स में चिल्लाना, डांटना और सार्वजनिक रूप से अपमानित करना एक सामान्य बात हो गई है,' जिससे एक शत्रुतापूर्ण माहौल पैदा हो रहा है, जिसने उनके मानसिक स्वास्थ्य और कार्य-जीवन संतुलन पर नकारात्मक प्रभाव डाला है।

इसके जवाब में सेबी प्रबंधन ने इन सभी आरोपों से इंकार करते हुए जवाबी पत्र कल ही प्रेषित कर दिया था। सेबी की ओर से कहा जा रहा है कि कर्मचारियों के मुद्दों को संबोधित किया जा चुका है और कर्मचारियों के ऊपर किसी प्रकार का भारी बोझ नहीं लादा जाता है।

प्रबंधन के मुतबिक, ये कर्मचारी बाहरी शक्तियों के प्रभाव में आकर वित्त मंत्रालय के नाम ज्ञापन प्रेषित किये हैं। इसका मकसद सेबी एवं नेतृत्व की विश्वसनीयता को गिराने का है।

आज खबर है कि करीब 400 सेबी कर्मचारियों ने मुंबई स्थित, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स मुख्यालय के सामने प्रदर्शन किया है और उन्होंने माधबी पुरी बुच के इस्तीफे की मांग की है।

आर्थिक मामलों एवं भारतीय स्टॉक मार्केट की विख्यात आर्थिक मामलों की पत्रकार, सुचेता दलाल ने आज की घटनाओं पर सामयिक टिप्पणी करते हुए अपने सोशल मीडिया हैंडल X पर देश की वित्त मंत्री को टैग करते हुए पोस्ट किया है, 'यह बहुत ही शर्मनाक है, क्या मुख्यधारा का मीडिया आखिरकार जागेगा?

पहली बार किसी नियामक, #SEBI ने प्रेस विज्ञप्ति जारी की है और उसके कर्मचारियों ने इसे झूठ का पुलिंदा बताया है और विरोध में उतर आए! क्या यह @HindenburgRes के बारे में है? @FinMinIndia @nsitharaman क्या वे अभी भी खुद को, देश को और पूंजी बाजार को शर्मिंदा करने पर आमादा हैं?

राधाष्टमी

11 सितंबर 2024

हिन्दू धर्म ग्रंथों के अनुसार, भगवान श्रीकृष्ण और उनकी संगिनी राधा रानी जी का जन्म भादो महीने में हुआ है। अब जन्माष्टमी और कृष्ण छठी के बाद उनके भक्तों को राधाष्टमी का इंतजार है। आइए जानते हैं, राधाष्टमी कब और इस मौके पर राधा जी को कौन-सा ५ भोग लगाने से वे शीघ्र प्रसन्न होती हैं?

राधा रानी को पर इन 5 चीजों से लगाएं भोग

शीघ्र प्रसन्न होकर देंगी मनचाहा वरदान

राधा और कृष्ण का प्रेम हिन्दू धर्म और संस्कृति में प्रेम का सर्वोच्च प्रतीक माना गया है। कहा जाता है राधा के बिना भगवान कृष्ण अधूरे हैं। कृष्ण भक्त राधा रानी के बिना श्रीकृष्ण की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। इन्हीं राधा रानी का जन्म भगवान श्रीकृष्ण के जन्म और उनकी छठी मनाने के बाद भादो महीने में ही लगभग 15 दिनों के बाद होता है। राधा रानी के जन्मदिन को राधाष्टमी और राधा जयंती भी कहते हैं। आइए जानते हैं, राधाष्टमी पर राधा को कौन-सा 5 भोग लगाने से शीघ्र प्रसन्न होती हैं?

बरसाने वाली राधे का जन्म

भगवान श्रीकृष्ण की संगिनी राधा जी को देवी लक्ष्मी का अवतार माना जाता है। कहते हैं, द्वापर युग में भगवान श्रीकृष्ण के जन्म लेने के बाद जब देवी लक्ष्मी को वैकुंठ लोक बिना विष्णु जी के खाली-खाली लगने लगा तो उन्होंने वृंदावन की धरती पर अवतार लिया। वे बरसाना के वृषभानु जी की पुत्री के रूप में जन्मीं। इसलिए उनको वृषभानु कुमारी भी कहते हैं। पद्म पुराण में उनकी माता का नाम कीर्ति बताया गया है।

कब हुआ राधा जी जन्म?

धर्म ग्रंथों के अनुसार, भगवान कृष्ण का जन्म भादो कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को आधी रात में हुआ था। वहीं भगवान कृष्ण की सहचरी राधा जी का जन्म भादो शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को दिन में दोपहर को हुआ था, जिसे राधाष्टमी कहते हैं। हिन्दू धर्म में राधाष्टमी को राधा जी के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस साल राधाष्टमी सितंबर माह में 11 तारीख को मनाई जाएगी।

पूजा का शुभ मुहूर्त

जहां तक राधाष्टमी पर राधा जी के जन्मपूजा के शुभ मुहूर्त की बात है, यह पूजा 11 सितंबर की दोपहर में साधकों और भक्तों को पूजा के लिए 2 घंटे 29 मिनट की शुभ अवधि मिल रही है। यह शुभ मुहूर्त 11 बजकर 3 मिनट से लेकर 01 बजकर 32 मिनट तक है।

राधा रानी को इन 5 भोग से करें प्रसन्न

राधाष्टमी के दिन राधा रानी और भगवान श्रीकृष्ण की पूजा में कई प्रकार के विशेष भोग लगाए जाते हैं। यहां 5 ऐसे भोग और प्रसाद की बारे में बताया गया है, जो उन्हें भगवान बांके बिहारी के बाद सबसे प्रिय हैं।

- **दही अरबी की सब्जी:** यह ब्रज का पारंपरिक नमकीन व्यंजन है, जिसका भोग राधाष्टमी के दिन राधा जी को लगाया जाता है। कहते हैं, यह पकवान न केवल स्वादिष्ट होता है बल्कि आध्यात्मिक महत्व भी रखता है।
- **पंचामृत:** पंचामृत भगवान श्रीकृष्ण का प्रिय भोग होने कारण राधा जी का भी प्रिय है, जो दूध, दही, घी, शहद और गंगाजल को मिलाकर बनाया है। यह भगवान कृष्ण और राधारानी दोनों को अर्पित किया जाता है।
- **पान का बीड़ा:** राधाष्टमी के मौके पर राधा रानी को पान के बीड़े जरूर चढ़ाए जाते हैं। कहते हैं कि पान के बीड़े भगवान श्रीकृष्ण को बहुत पसंद होने के कारण यह राधा जी का भी प्रिय भोग है।
- **मालपुआ:** राधा अष्टमी के दिन राधा रानी को मालपुए का भोग अवश्य लगाना चाहिए, क्योंकि उनको मालपुए काफी पसंद हैं। कहा जाता है कि राधारानी के बनाए मालपुए भगवान श्रीकृष्ण को भी बहुत पसंद थे।
- **रबड़ी:** राधा जी को रबड़ी का भोग बेहद पसंद है। मान्यता है कि इस भोग को प्यार और श्रद्धा के साथ चढ़ाने से राधा जी सहित भगवान श्रीकृष्ण भी शीघ्र प्रसन्न होते है।

इस दिन आप चाहें तो इस दिन राधा रानी जी और भगवान श्रीकृष्ण को माखन-मिश्री, मोहनभोग, मौसमी फल आदि का भोग लगा सकते हैं। बता दें कि कृष्ण छठी के दिन भगवान लड्डू गोपाल को कढ़ी चावल का भोग लगता है।

राधाष्टमी पर ऐसे करें राधा जी की पूजा

कृष्ण भक्ति और वैष्णव संप्रदाय में राधा नाम के उच्चारण मात्र को सभी मनोकामनाओं को पूरा करने वाला माना जाता है। राधा नाम की स्तुति से धनार्थी यानी धन चाहने वाले को धन, मोक्षार्थी यानी मोक्ष चाहने वाले मोक्ष, विद्यार्थी को विद्या और ज्ञानार्थी को ज्ञान की प्राप्ति होती है। राधाष्टमी के दिन राधा जी की पूजा से व्यक्ति पर देवी राधा और भगवान श्रीकृष्ण की विशेष बनी रहती है।

राधाष्टमी पूजा के स्नानादि क्रियाओं से निवृत होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें।

घर के पूजा स्थान या मंदिर या किसी स्वच्छ और शांत जगह पर चौकी पर लाल या पीले रंग के आसन पर देवी राधा और भगवान श्रीकृष्ण की प्रतिमा या फोटो को स्थापित करें।

फिर देवी राधा और भगवान श्रीकृष्ण का आह्वान करते हुए देवी राधा को चुनरी-वस्त्र और भगवान कृष्ण को पीताम्बर वस्त्र अर्पित करें।

फिर दोनों को कुमकुम या चंदन तिलक लगाकर फूल माला पहनाएं। फिर धूपबत्ती से उनको सुगंधि दें। इसके बाद फल, नैवेद्य, मिठाई आदि अर्पित करें।

इसके बाद देवी राधा और भगवान श्रीकृष्ण की घी का दीपक जलाकर आरती करें। आप चाहें को राधा नाम का जाप भी कर सकते हैं। आरती के बाद उन्हें प्रणाम कर उनका आशीर्वाद लें। फिर परिवार के सदस्यों और आस-पड़ोस में प्रसाद बांटे।

यदि आप राधाष्टमी का व्रत रख रहे हैं, तो अगले दिन राधा रानी और भगवान श्रीकृष्ण की विधिवत पूजा कर आप पारण करें। इस दिन आप चाहें तो राधा रानी जी और भगवान श्रीकृष्ण मालपुआ, रबड़ी, माखन-मिश्री, मोहनभोग आदि का भोग लगा सकते हैं।

65 करोड़ लोगों की पहली भाषा है हिंदी

कैसे देश के विकास में दे रही है बड़ा योगदान

आज भारत विश्व की सबसे तीव्र गति से उभरने वाली आर्थिकी है। अंतरराष्ट्रीय राजनीति में देश की हैसियत लगातार बढ़ रही है। जब किसी राष्ट्र को विश्व बिरादरी महत्व और स्वीकृति देती है तथा उसके प्रति अपनी निर्भरता में वृद्धि पाती है तो उस राष्ट्र की तमाम चीजें स्वत: महत्वपूर्ण हो जाती हैं। भारत की विकासमान अंतरराष्ट्रीय स्थिति हिंदी के लिए वरदान-सदृश है। आज विश्वस्तर पर उसकी स्वीकार्यता और व्याप्ति अनुभव की जा सकती है। पहले जिन देशों में हिंदी लगभग न के बराबर थी अब वहां भी उसकी अनुगूंज सुनी जा सकती है।

प्रतियोगी परीक्षाओं में बढ़ा प्रभुत्व आज नई पीढ़ी के लिए हिंदी भारत बोध और राष्ट्रीय अस्मिता का साधन है। हिंदी अब प्रतियोगी परीक्षाओं में भी अपना प्रभुत्व दिखला रही है। नीट से लेकर संघ लोक सेवा आयोग तक हिंदी भाषा और माध्यम लेकर छात्र परीक्षाएं दे रहे हैं। इन परीक्षाओं में हिंदी और भारतीय भाषाओं में परीक्षा देने वाले छात्रों की संख्या अंग्रेजी से अभी भी कम है लेकिन पास होने वाले छात्रों का औसत अधिक है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत छठी कक्षा तक मातृभाषा में शिक्षा देने की व्यवस्था की गई है। इसे ईमानदारी से लागू करने की जरूरत है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने एम.बी.बी.एस. और इंजीनियरिंग की पढ़ाई को हिंदी में भी शुरू करवा दिया। अब सारे विषय हिंदी एवं भारतीय भाषाओं में पढ़ाए जा सकते हैं। हिंदी अब आइ. आइ.टी. से लेकर आइ.आइ.एम. तक में प्रवेश कर चुकी है।

मानविकी के अलावा विधि, वाणिज्य, विज्ञान, प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में हिंदी में शिक्षण होने लगा है। यह बड़ा बदलाव है। तकनीकी क्षेत्र में प्रभावी कार्य आज का दौर तकनीक का है और तकनीक लगातार सूक्ष्म से सूक्ष्मतर होती जा रही है। हिंदी भी नई तकनीक के सहारे ई पेपर, ई जर्नल एवं ई बुक के रूप में वैश्विक स्तर पर पहुंच रही है। अब उपग्रह प्रसारित चैनलों, सिनेमा से लेकर ओ.टी.टी. तक हिंदी का बोलबाला है। हिंदी के इस फैलाव में डिजिटल दुनिया और इंटरनेट मीडिया की सबसे बड़ी भूमिका है। अब हिंदी वायस सर्च क्वेरी 400 प्रतिशत की दर से हर साल बढ़ रही है और इंटरनेट मीडिया हिंदी जानने वालों का सबसे बड़ा पटल बन गया है। गूगल के अनुसार पिछले दस वर्षों में इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाली सामग्री हिंदी में 94 प्रतिशत की दर से बढ़ी है। भाषाई इंटरफेस की वजह से इस समय जो तकनीकी सुविधा अंग्रेजी में उपलब्ध है, वह हिंदी में भी उपलब्ध है। अंग्रेजी की तुलना में इंटरनेट मीडिया पर हिंदी ज्यादा लोकप्रिय है। भारत निकट भविष्य में विश्व का सबसे बड़ा इंटरनेट उपभोक्ता देश बनने जा रहा है जिसका सबसे प्रभावी माध्यम हिंदी रहने वाली है। अब भाषाओं का प्रशिक्षण भी ई-लर्निंग के माध्यम से संभव है।

विश्व में व्यापक प्रसार आज हिंदी संपूर्ण विश्व में 65 करोड़ लोगों की पहली भाषा और 50 करोड़ लोगों की दूसरी और तीसरी भाषा है। आज की हिंदी अपने जिस वैभव के साथ विश्वभाषा बनने की ओर अग्रसर है, वह अनेक बोलियों से मिलकर बनी है। उसका वर्तमान रूप इन्हीं से निर्मित हुआ है। हिंदी के विकास में इन बोलियों के अलावा देश भर के संतों, कवियों, भक्तों और साहित्यकारों की विशेष भूमिका रही है। हिंदी भारत की सांस्कृतिक एकता का मजबूत आधार बन गई है। भारतीय राज्यों में यह गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पंजाब, कश्मीर तथा पूर्वोत्तर के राज्यों और अधिकांश केंद्र शासित प्रदेशों में द्वितीय भाषा के रूप में व्यवहार की जाती है। इसी प्रकार नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, संयुक्त अरब अमीरात, ओमान, कुवैत, इराक, फीजी, मारीशस, थाईलैंड, सूरीनाम, त्रिनिदाद और गयाना जैसे देशों में यह दूसरी एवं तीसरी भाषा के रूप में प्रयुक्त होती है। यह शेष विश्व में लगभग 20 करोड़ लोगों द्वारा चौथी, पांचवीं और विदेशी भाषा के रूप में प्रयुक्त होती है। इस तरह संपूर्ण विश्व में 135 करोड़ लोग किसी- न- किसी रूप में हिंदी को बोल या समझ लेते हैं।

बढ़ती शक्ति का उद्घोष

हमें यह भी स्मरण रखना होगा कि विश्व के जितने भी विकसित राष्ट्र हैं, उन सबने अपनी भाषा में ही विकास को प्राप्त किया है। यह बात अमेरिका, रूस, जर्मनी, जापान, फ्रांस, ब्रिटेन, इटली, स्पेन, पुर्तगाल, इजरायल और चीन तक समान रूप से देखी जा सकती है। इजरायल जैसे छोटे से राष्ट्र ने हिब्रू में उत्कृष्ट तथा मौलिक शोधकार्य करके अब तक 12 नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए हैं। ये सारे देश अपनी भाषाओं के विकास पर बड़ी धनराशि खर्च करते हैं। इन देशों की सरकारें ऐसी योजनाएं प्रस्तुत करतीं हैं कि उनकी भाषा और साहित्य के प्रति आकर्षण बढ़े और विश्व समुदाय की उन्मुखता उनकी ओर बनी रहे।

हम भारत सरकार से भी यही अपेक्षा रखते हैं। वर्तमान सरकार में राष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री कार्यालय से लेकर अनेक मंत्रालय हिंदी में अपना कार्य कर रहे हैं। आज हिंदी भारत के बाहर फीजी एवं संयुक्त अरब अमीरात में आधिकारिक भाषा बन गई है। संयुक्त अरब अमीरात ने तो न्यायालयों में हिंदी के प्रयोग की अनुमति दे दी है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी अपना एक्स हैंडल और वेबसाइट हिंदी में आरंभ कर दिया है। यह रेडियो पर एक घंटे का हिंदी कार्यक्रम प्रसारित करता है।

दो वर्ष पूर्व संयुक्त राष्ट्र संघ ने भारत सरकार के प्रयासों से हिंदी, उर्दू एवं बांग्ला तीन भारतीय भाषाओं में कामकाज की सुविधा दे दी। भले ही अभी तक इन्हें आधिकारिक भाषा का दर्जा न मिला हो लेकिन इनमें सारा कामकाज सम्पन्न हो सकता है। इसके पहले यह दुर्लभ था। यह भी बडा कारण है कि हिंदी का वर्तमान गतिशील और भविष्य आश्वस्त करने वाला है!

हिंदीतर राज्यों से उठी थी हिंदी के लिए आवाज

केशवचंद्र सेन से लेकर लोकमान्य तिलक तक, ब्रिटिश शासनकाल में बंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र आदि राज्यों के विद्वानों-नेताओं ने लहराया था हिंदी का ध्वज...

आधुनिक काल के अनेक विचारकों, राजनेताओं एवं संस्थानों ने हिंदी को भारत की संपर्क भाषा के रूप में विकसित होने के योग्य बताया-बनाया है। स्वाधीनता आंदोलन के समय हिंदी देश के लिए संपर्क भाषा बनी। माना जाता है कि सर्वप्रथम बांग्लाभाषी केशवचंद्र सेन ने कहा था कि;भारत की संपर्क भाषा हिंदी बन सकती है। यह भी विचारणीय है कि केशवचंद्र सेन ब्रह्म समाज के संस्थापकों में से एक थे और अंग्रेजी पर उनका अद्भुत अधिकार था। वे जब अंग्रेजी में भाषण देते थे तो लंदन में उन्हें सुनने के लिए अंग्रेजों की भीड़ से सभागार भर जाते थे। ऐसे व्यक्तित्व ने सर्वप्रथम हिंदी के राष्ट्रीय महत्व को समझा और 1875 में ही घोषणा कर दी थी कि हिंदी में भावी भारत की संपर्क भाषा बनने की ताकत है। यही विचार हिंदी की मूल ऊर्जा बना।

माना जाता है कि केशवचंद्र सेन ने ही स्वामी दयानंद सरस्वती को 'सत्यार्थ प्रकाश' हिंदी में लिखने के लिए कहा और यह बात सब जानते हैं कि हिंदी के विकास में सत्यार्थ प्रकाश एवं आर्य समाज की भूमिका कितनी बड़ी है। स्वामी जी की मातृभाषा गुजराती थी। हिंदी को भारत की राजभाषा बनाने का पहला सुझाव 19वीं शताब्दी के सुप्रसिद्ध गुजराती कवि नर्मदालाल शंकर दवे ने 1880 में दिया था।

उन्हें गुजरात 'नर्मद कवि' की संज्ञा से भी जानता है। हिंदी के विकास में गुजराती भाषियों की युगांतरकारी भूमिका रही है। इन्हीं के कारण वह स्वाधीनता आंदोलन की प्रमुख एवं आधिकारिक भाषा बनी। स्वामी दयानंद सरस्वती एवं नर्मद कवि के बाद प्रकारांतर में अगला बड़ा नाम गुजराती भाषी महात्मा गांधी का आता है। वो बहुभाषी थे। उनकी मातृभाषा गुजराती, शिक्षा की भाषा अंग्रेजी तथा हृदय और जनसंवाद की भाषा हिंदी थी। उन्हें यह बात अखर रही थी कि जिस भारत में हजारों वर्षों से समृद्ध भाषाएं गतिशील रही हैं, वहां पर शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी बने। फलस्वरूप उन्होंने घोषणा की, 'राष्ट्रभाषा के बिना राष्ट्र गूंगा है। हिंदी हृदय की भाषा है और हिंदी का प्रश्न स्वराज्य का प्रश्न है।' उनका स्पष्ट अभिमत था कि अखिल भारत के परस्पर व्यवहार के लिए ऐसी भाषा की आवश्यकता है जिसे जनता का अधिकतम भाग पहले से ही समझता हो।

हिंदी इस दृष्टि से सर्वथा उपयुक्त है। राष्ट्रीय व्यवहार में हिंदी को काम में लाना देश की शीघ्र उन्नति के लिए आवश्यक है। हिंदी की शक्ति को स्वाधीनता आंदोलन के कठिन संघर्ष के दिनों में सर्वप्रथम महाराष्ट्र से लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने पहचाना था। उन्होंने बंग-भंग के वर्ष 1905 में वाराणसी की यात्रा की और नागरी प्रचारिणी सभा की एक सभा को भी संबोधित किया। हिंदी के विकास में काशी की नागरी प्रचारिणी सभा का अप्रतिम योगदान रहा है। उसी नागरी प्रचारिणी सभा में तिलक ने 1905 में कहा था, 'इसमें कोई संदेह नहीं है कि हिंदी ही देश की संपर्क और राजभाषा हो सकती है'।

इसके बाद महाराष्ट्र के नेताओं, साहित्यकारों, हिंदी प्रचार संस्थाओं और सिनेमा ने हिंदी के विकास में ऐतिहासिक कार्य किया। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान क्रांतिकारियों से लेकर राजनेताओं तक ने हिंदी को संपर्क भाषा के रूप में प्रयुक्त किया। हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने पर जोर देने वालों में सुभाषचन्द्र बोस से लेकर सी. राजागोपालाचारी तक रहे हैं। स्वाधीन भारत में संविधान सभा ने डॉ. भीमराव आंबेडकर की अध्यक्षता वाली मसौदा समिति के प्रविधान के रूप में सर्वसम्मति से 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया। तब से हिंदी ने अनेक रुकावटों के बावजूद लगातार विकास किया है।

साप्ताहिक समय माया

परिवहन व कर चोर माफिया पाल रहे राज्य व केंद्र के अधिकारियों व नेताओं को

सब केंद्र व राज्य कर अधिकारी माफिया गिरोह के कठपुतली

प्रति,

माननीय मुख्यमंत्री जी,
म.प्र.शासन, भोपाल

विषय :– अरबों रूपये की जीएसटी चोरी की सूचना देने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषय अंतर्गत लेख है कि मध्यप्रदेश में जीएसटी चोरी का एक बहुत बड़ा सिंडिकेट नेटवर्क कार्यरत है, जिसके अन्तर्गत सैकड़ों दलाल मध्यप्रदेश एंटीविजन व नेता द्वारा व ट्रांसपोर्ट, सैकड़ों फैक्ट्री सम्मिलित है।

इन लोगों की माफियागिरी के अन्तर्गत हजारों टन आयरन स्क्रेप गुजरात के सूरत, अंकलेश्वर, बड़ोदरा, अहमदाबाद, अलंग, भावनगर, जामनगर, राजकोट इत्यादि जगहों से मध्यप्रदेश के इन्दौर, भोपाल, ग्वालियर, शिवपुर की रोलिंग मिलों में भेजा जा रहा है। यह सामरा माल कायथा चांदपुर अलीराजपुर, खण्डवा, बड़ोदरा, दाहोद, अलीराजपुर स्टेट हाईवे से निकलता है। इसी प्रकार गुजरात के जामनगर, दाहोद, बोडेली, अहमदाबाद, बड़ौदा आदि जगहों की रोलिंग मिलों का बगैर जीएसटी चुकाए सरिये, आयरन शीट, एंगल, चद्दर लिये हर महिने 100 से 150 ट्रक ट्राले मध्यप्रदेश के धार, इन्दौर, कुक्षी, अलीराजपुर, खरगोन, खण्डवा, बड़वानी, झाबुआ, बुरहानपुर, पेटलावद, अंजड़, राजगढ़, धामनोद, बदनावर में उपरोक्त लिखित माल को पहुँचा रहे है। जीएसटी चोरी का यह समस्त माल अलीराजपुर, चाँदपुर, पिटोल, धामनोद, खेतिया, पानसेमल, निवाली, सेंधवा से होकर मध्यप्रदेश के समस्त जिलों में जा रहा है।

इसी प्रकार महाराष्ट्र के जालना, औरंगाबाद, धुलिया, पूना, मुंबई, अहमदनगर, मालेगाँव की रोलिंग मिलों से प्रतिदिन 50 से 100 गाड़ीयों या ट्रकों या ट्रालों द्वारा लगभग 3000 हजार से 5000 टन सरिया बगैर टैक्स/जीएसटी चुकाए

निरंतर–

पेज–2

सेंधवा, आगरा, मुंबई राजमार्ग–एबी रोड से होकर मध्यप्रदेश के अलीराजपुर झाबुआ, बड़वानी, इन्दौर, मन्दसौर, नीमच, रतलाम, खरगोन, खण्डवा, बुरहानपुर व समस्त जिलों में जीएसटी चोरी का माल पहुँचाया जा रहा है व बेचा जा रहा है।

इसी प्रकार महाराष्ट्र के जालना, औरंगाबाद प्रतिदिन 50–100 ट्रक, ट्राले बगैर जीएसटी चुकाए आयरन, स्क्रेप मध्यप्रदेश के धार, बड़वानी, इन्दौर, मंदसौर, नीमच, रतलाम, खरगोन, खण्डवा बुरहानपुर आदि जगह की रोलिंग मिलों में माल खपाया जा रहा है, साथ ही समय पर राज्य गुजरात के दाहोद की रोलिंग मिलों में यह माल अलीराजपुर, झाबुआ, पिटोल से होकर जा रहा है।

इसी प्रकार गुजरात के मोरबी, बड़ौदा, हिम्मत नगर, पादरा से फैक्ट्री मालिक बगैर जीएसटी चुकाए सेनेटरी, आयटम टाईल्स, सीएससी ब्लॉक लेकर प्रति महिने से सैकड़ों 300 से 500 ट्रक व ट्राले अलीराजपुर होकर मध्यप्रदेश के समस्त जिलों में माल का परिवहन किया जा रहा है व जीएसटी चोरी का माल बेचा जा रहा है।

महोदय, अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि टैक्स चोरी का कारनामा पूर्णतः सरकारी मशनरी टैक्स, दुकानदार विक्रेता फैक्ट्री मालिक, सेल टैक्स व वाणिज्य कर विभाग जीएसटी एंटिइन्वेशन A- ऑफिसर्स अतुल श्रीवास्तव (मो.नं. 9229113869), हरिश जैन (मो.नं. 9993787333) व एंटि विजन B- ऑफिसर्स सोनाली जैन (मो.नं. 9993048393), शिवनंदन तिवारी (मो.नं. 8305221018) व कुश बोहरे (मो.नं. 9406628486) व टैक्स चोरी कराने वाले उपरोक्त लिखित दलाल सम्मिलित है, जिनके द्वारा हर वर्ष 2000 करोड़ लगभग टैक्स की चोरी की जा रही है।

टैक्स चोरी करते समय ट्रक, ट्राले को एक पासवर्ड बिल्टी लोगों को दी जाती है, जिसको देखकर कोई भी थाना प्रभारी, राजस्व अधिकारी, सेल्स टैक्स अधिकारी, एंटीविजन सेल्स टैक्स अधिकारी उस पर कोई कार्यवाही नहीं करते है।

निरंतर–

पेज –3

टैक्स चोर दलाल निखिल सोडानी (मो.नं. 9425877777), मयूर (मो.नं. 7049066666), विशाल (मो.नं. 9325682001), निवासी बड़वानी, मोहम्मद सादिक खान (मो.नं. 7566992000) निवासी सेंधवा, सोहेल उर्फ चिन्टू (मो.नं. 9755600786), अमीन भुट्टो, (मो.नं. 9993098590), इकबाल खान, (मो.नं. 9826057122), हरिश मूलचंदानी (मो.नं. 9993018600) है। इस बाबत आपको पूर्व में आवेदन दिया जा चुका है परन्तु आज दिनांक तक कोई कार्यवाही नहीं की गई।

अतः त्वरित कार्यवाही हेतु आवेदन सादर प्रेषित है।

दिनांक ....

भवदीय
दीपक सोनी पिता शंकरलाल सोनी
80/2 बी.टी. रोड, अलीराजपुर
मो. नंबर: 9303994473

प्रतिलिपि :
1. आयुक्त, मध्यप्रदेश आर्थिक अपराध अनुसंधान ब्यूरो, भोपाल मध्यप्रदेश।
2. लोकायुक्त महोदय, इन्दौर मध्यप्रदेश
3. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन भोपाल, मध्यप्रदेश।
4. श्री जगदीश जी देवड़ा, श्रीमान गृह मंत्री एवं वित्त मंत्री, म.प्र.शासन, भोपाल
5. आयुक्त महोदय, सीजीएसटी, इन्दौर

सूचना देने के बाद भी घंटों नहीं पहुंचते, सीजीएसटी व एसजीएसटी के निरीक्षक व अधिकारी 5 दिन से बदनावर थाने में सरिये का ट्रक खड़ा, कोई कार्यवाही को तैयार नहीं।

भारत में पूंजिपतियों के मोटे लाभ व उनके इशारे पर माल एवं सेवा कर जो आत्यधिक क्लिष्ट और आपवादिक बना कर बिना भारतीय व्यापारियों के संगठनों से जानकारी व पूछताछ किये थोपा गया। जिसमें 2560 दिन में छोटे व्यापारियों उद्योगों को कर प्रणाली में उलझा कर पालन न करने की दशा में जेल पहुंचाने खत्म करने के लिए 7000 से ज्यादा संशोधन कर दिए गए। स्वयं जीएसटी काउंसिल योर जोक्स उपाध्यक्ष से लेकर सदस्यों तक किसी को समझ में नहीं आ रहा तो फिर केंद्र सरकार के कस्टम व एक्साइज के साथ राज्यों के इस मॉल एवं सेवा करके आयुक्तों से लेकर संयुक्त उप सहायक आयुक्तों से वाणिज्यकर अधिकारियों निरीक्षकों को क्या खाक समझ में आएगा। स्वाभाविक है कि केंद्र व राज्य सरकारों के आयुक्तों से लेकर कर्मचारियों तक अपनी यथायोग्य शक्ति और क्षमता के अनुसार कर चोरों के साथ शामिल हो। कर चोरों और माफियाओं को अंध सहयोग देंगे। जिसे आपने समय माया के पिछले अंक में देखा की किस प्रकार से अंतर राज्यीय सीमाओं के छोटे मार्गो से मध्य प्रदेश में गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र जो उज्जैन, शाजापुर, रतलाम, नीमच, मंदसौर और इंदौर संभाग के अलीराजपुर, झाबुआ, बड़वानी, खंडवा, बुरहानपुर आदि जिलों की सीमाओं से लगती हैं। जहां पर इन तीनों राज्यों में आने-जाने के लिए पूरे देश का माल आता जाता है। मध्य प्रदेश पूरे देश में मध्य में है और उसकी सीमाओं से उत्तर प्रदेश बिहार उड़ीसा छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र राजस्थान और गुजरात की सीमाएं लगती हैं। प्रतिदिन लगभग 20 हजार से ज्यादा ट्रक 10 हजार से ज्यादा यात्री बसें जो यथार्थ में दुगने से भी ज्यादा है। कर चोरी कर माल लेकर आती जाती हैं। क्योंकि सिंडिकेट माफिया द्वारा सीधा टेक्स चोरी का 10% न केवल राज्य के करायुक्त को वरन केंद्र जीएसटी विभाग के रोकथाम एवं निगरानी विभाग के संयुक्त आयुक्त को भी भेजा जा रहा है इसलिए लगातार उन्हें गाड़ी के नंबर बिल आदि की कॉपी भेजने के बाद में भी उनकी सूचना देने के बाद तीन-चार घंटे तक यह टोल पर नहीं पहुंच सके और वह ट्रक वहां से निकाल कर आगे खाली होकर बाहर हो गए जैसा कि मैंने पिछली बार आपको समाचार छपा था।

हालही में कुछ जागरूक नागरिकों द्वारा एक ट्रक को एसडीएम बदनावर के साथ मिलकर जो राजस्थान पंजीकृत है। राज्य करके एंटी विजन ए और बी को बताया गया पर उन्होंने कहा हमारे पास किसी प्रकार की कोई अधिकार हमारे आयुक्त महोदय द्वारा नहीं दिए गए हैं इसलिए हम उसको नहीं पकड़ सकते आप सीधे आयुक्त को सूचित करिए आयुक्त को लगातार सूचित करने के बाद में भी आयुक्त धनराजू ने ना तो फोन उठाया और ना उसे व्हाट्सएप पर भेजने के बाद में भी कोई कार्यवाही की। गुरुवार रात्रि 8:00 बजे से भाई ट्रक बदनापुर थाने पर खड़ा हुआ है तब तक माल भेजने वाले ने पक्के बिल्टी बनवा लिया।

मध्य प्रदेश में वर्तमान में वाणिज्य कर में पदस्थ आयुक्त धनराजू के साथ प्रधान सचिव अमित राठौर मंत्री जगदीश देवड़ा से मुख्यमंत्री तक लगातार महीना पहुंच जाते रहने के कारण जानबूझकर मध्य प्रदेश की 6 एंटी विजन ब्यूरो की विंग्स को धारा 68, 71 के अधिकार नहीं दिए जाते जबकि इसमें आज तक चुप करने का अधिकार आयुक्त का है ही नहीं यह अधिकार संयुक्त आयुक्त को ही दिया गया है के विपरीत अपना अहंकार पूरा करने के लिए यह अधिकार उन्होंने अपने पास रख प्रदेश की 6 एंटीईविजन ब्यूरो को कर चोरी रोकने, वसूलने क्रेता विक्रेता पर दंड अधिरोपित करने, कर चोरी करने वाले ट्रक और बसों को पकड़ने का अधिकार नहीं दिया जा रहा।

इसके संबंध में केंद्रीय माल एवं सेवा कर अधिकारी को उज्जैन में संपर्क करके जानकारी भेजी गई पर वह भी सब के सब संयुक्त आयुक्त प्रीवेंशन एंड विजिलेंस से बात करने पर उन्होंने अपने विभाग के अधीक्षक पर डाल दिया। जब उनसे कार्रवाई के लिए बोलातो बोलने लगे मैं बहुत छोटा सा कर्मचारी हूं। जो भी करेंगे जे सी

करेंगे। नए-नए बहाने बनाते रहे।

आम नागरिकों ने किस कर छोरी को रोकने के लिए अनेकों शिकायतें मुख्यमंत्री और आयुक्त की उन्हें जितना मालूम था उन्होंने उतनों के नाम नंबर डाल दिए। परंतु शिकायतों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई।

इससे सिद्ध होता है कि न केवल केंद्र और राज्य सरकार केसारे अधिकारी कर्मचारी विभाग पूरी तरह से माफिया ग्रहों की कठपुतली बन अपना वेतन और महीना खा चुप बैठे हुए हैं।

खुद नगर निगम के ही दीया तले है, अंधेरा

मामला प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाए गए गुलमर्ग परिसर का

आवासीय परिसर में नगर निगम के नियम पसंदों ने बना डाली दुकानें,अब पार्किंग को लेकर चिंतित स्थानीय रहवासी

नगर निगम इंदौर के महापौर, कमिश्नर से लेकर अपर आयुक्त, बीओ और बी आई समय समय समय पर निजी बिल्डरों निगाहें बनाए रखते है कि कहीं स्वीकृत नक्शे के विपरीत तो कहीं उस बिल्डर ने निर्माण नही कर डाला है। खासतौर से बहुमंजिलाओ को लेकर नगर निगम इंदौर का चुस्त दुरुस्त अमला काफी ज्यादा सक्रिय रहता है। ताकि बहुमंजिला कोई सी भी हो। लेकिन वहां एम ओ एस की जगह छोड़ी गई हो। व्यवस्थित और पर्याप्त पार्किंग को लेकर निगम अमला ऐसी नक्शा विपरीत बिल्डिंग पर कार्यवाही करने,कभी कभार सिर्फ नोटिस भेजने में भी कोई कोताही नहीं बरतता है। ताकि बहुमंजिलाओ में अपने पूरे जीवन की गाढ़ी कमाई का पैसा लगाने वाले रहवासियों को व्यवस्थित और पर्याप्त पार्किंग मिल सके। लेकिन देश के भावी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजना पीएम आवास योजना के तहत बनाए गए गुलमर्ग परिसर में नगर निगम अधिकारियों ने जो नियमों का मखौल उड़ाया है। उसे देखकर यहीं प्रतीत होता है कि नगर निगम जैसे जगमगाते दीपक के नीचे ही अंधेरा है।

दरअसल बात गुलमर्ग परिसर के ब्लॉक बी 10,11 और 12 की बात की जाए तो यहां कुल 216 फ्लैट नगर निगम ने तय दामों पर बेच तो डाले है। फिलहाल यहां सिर्फ मौजूदा 216 फ्लैट्स में महज 20 प्रतिशत ही फ्लैट्स में रहवासी रहने आए है। लेकिन अब उन्हे यहां पर आगामी भविष्य में पार्किंग की चिंता अभी से सताने लग गई है। दरअसल वह इसलिए क्योंकि यहां कुल 216 फ्लैट में अगर सभी रहवासी रहने आ गए तो फिर पार्किंग को लेकर रोजाना विवाद वाली स्थिति बनना लगभग तय है। क्योंकि नगर निगम के नियम पसंद अधिकारियों द्वारा आवासीय परिसर में व्यवसायिक गतिविधियां संचालित करने हेतू पार्किंग के स्थान पर दुकानों का निर्माण जो कर दिया है। लिहाजा अब रहवासी ऐसे हालातों फिलहाल अभी से आगामी भविष्य में पार्किंग की चिंता में ग्रस्त है। हालाकि रहवासियों द्वारा पीएम आवास योजना प्रभारी से लेकर उक्त समस्या से नगर निगम के हर किसी जिम्मेदार को अवगत कराने का पूरा प्रयास किया गया। लेकिन निगम के इन नियम पसंदो के कानो में जूं तक रेंगने को तैयार नहीं है। इन हालातों अब रहवासी करें यहीं कि या तो धरने पर बैठ जाए या किसी बड़े चक्काजाम को अंजाम दें। ताकि नगर निगम से जुड़ा कोई जिम्मेदार तो जागे। नही तो देश के भावी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजना पर नगर निगम इंदौर के जिम्मेदार बट्टा लगा ही चुके है।

पिछले 10 साल में चीन से 6 गुना आयात ने अर्थव्यवस्था बिगाड़ी

पेज 1 का शेष

उन्होंने कहा कि चीन से ये आयात भारतीय एमएसएमई को 'नुकसान' पहुंचा रहे हैं, क्योंकि आयातित उत्पादों में से कई उत्पाद इन स्थानीय व्यवसायों द्वारा बनाए जाते हैं। उन्होंने कहा कि सस्ते चीनी सामान एमएसएमई के लिए प्रतिस्पर्धा करना कठिन बनाते हैं, जिससे अस्तित्व के लिए संघर्ष करना पड़ता है। श्रीवास्तव ने कहा, 'कुछ एमएसएमई को अपने परिचालन को बंद करना पड़ता है या कम करना पड़ता है, और कम लागत वाले चीनी उत्पादों तक आसान पहुंच के कारण उन्हें आगे बढ़ना मुश्किल लगता है।

ये चुनौतियां भारत में रोजगार सृजन और आर्थिक विकास को प्रभावित करती हैं।' GTRI डेटा विश्लेषण में कहा गया है कि चीन भारत के 95.8 प्रतिशत छाते और धूप छाते (USD 31 मिलियन) और 91.9 प्रतिशत कृत्रिम फूल और मानव बाल लेख (USD 14 मिलियन) की आपूर्ति करता है। इसके अलावा, कांच के बने पदार्थ (521.7 मिलियन अमेरिकी डॉलर, 59.7 प्रतिशत), चमड़े के सामान जिसमें सैडलरी और हैंडबैग शामिल हैं (120.9 मिलियन अमेरिकी डॉलर, 54.3 प्रतिशत), और खिलौने (120.2 मिलियन अमेरिकी डॉलर, 52.5 प्रतिशत) में भी इसी तरह की प्रवृत्ति देखी जा रही है, जिससे घरेलू निर्माताओं पर गंभीर असर पड़ रहा है।

यहां तक कि सिरेमिक उत्पादों (232.4 मिलियन अमेरिकी डॉलर, 51.4 प्रतिशत) और संगीत वाद्ययंत्रों (15.7 मिलियन अमेरिकी डॉलर, 51.2 प्रतिशत) में भी, जहां कभी भारतीय कारीगर फलते-फूलते थे, चीनी आयात का प्रभुत्व स्थानीय उत्पादन को विस्थापित कर रहा है, उसने कहा।

इसके अलावा, भारतीय एमएसएमई फर्नीचर, बिस्तर और लैंप और कटलरी जैसे उद्योगों में प्रतिस्पर्धा करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं।

इसमें कहा गया है, 'ये ऐसे क्षेत्र हैं जहां भारतीय छोटे व्यवसाय पारंपरिक रूप से मजबूत रहे हैं, लेकिन अब चीनी सामानों की आमद के कारण वे अपनी जमीन खो रहे हैं,' उन्होंने कहा कि पत्थर और कालीन जैसे उत्पाद खतरे में हैं, जिससे स्थानीय उत्पादकों की प्रतिस्पर्धात्मकता कम हो रही है।

जीटीआरआई के आंकड़ों के अनुसार, चीन से रेशम का आयात 32.8 मिलियन अमेरिकी डॉलर रहा, जो जनवरी-जून 2024 के दौरान भारत के रेशम के कुल आयात का 41 प्रतिशत है।

श्रीवास्तव ने कहा कि भारत को विशेष रूप से चीन से महत्वपूर्ण औद्योगिक आयात पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए गहन विनिर्माण में निवेश करने की तत्काल आवश्यकता है।

उन्होंने कहा, 'चीनी आयात पर भारी निर्भरता भारतीय एमएसएमई की बाजार हिस्सेदारी और अस्तित्व को खत्म कर रही है। इन छोटे व्यवसायों की रक्षा करने और भारत की आर्थिक स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए घरेलू विनिर्माण को मजबूत करना आवश्यक है।'

पॉलिथीन के नाम पर पिछले 20 सालों में इंदौर निगम ने 5 हजार करोड़, प्रदेश में 20 हजार करोड़ लूटे

अधिकार न होने के बाद भी आयुक्त, महापौर नेता करते हैं लूट का तांडव

विशेष न्यायालय ने निर्णय में कहा खाद्य निरीक्षकों के अधिकार में पॉलिथीन की जांच और कार्यवाही शामिल नहीं। रद्द किया प्रकरण। नगर निगम इंदौर में बैठे आयुक्त अधिकारी खाद्य एवं सफाई निरीक्षक अतिक्रमण हटाओ, रिमूवल गिरोह यातायात के नाम करोड़ों की करता है वसूली

नगर निगम के अधिकारियों, इंजीनियर, डॉक्टर, कर्मचारियों, दरोगाओं, लेखपाल से लेकर बाबू तक केहर साल अगर बारिकी व ईमानदारी से जांच की जाए व जनता के साथ पीली गाड़ियों का गिरोह पिछले 20 सालों से पॉलिथीन के नाम परठेले वालों फुटपाथ वालों से लेकर व्यापारियों को डरा धमका कर 10 बीपी सजा रुपए के चालान बनाकर पैसे हजम कर जाता है और वह पैसा निगम के खाते में भी नहीं जाता पिछले 20 सालों में केवल पॉलिथीन के नाम पर ही लगभग 5000 करोड रुपए से ज्यादाजनता से लूट कर हजम कर लिए के साथ सरकारी योजनाओं निर्माण सफाई आपूर्ति में भी हजारों करोड़ के भ्रष्टाचार से पैसे हजम कर जाता है। केंद्र व राज्य शासन का गृह मंत्रालय पत्रकारों आम नागरिकों के कॉल रिकॉर्डिंग डाटा रिकॉर्डिंग की तो जासूसी करता है पर वह अपने ही विभागों के विशेष रूप से नगर निगमों पालिकाओं, पुलिस, परिवहन, राजस्व, आबकारी, खनन, पंजीयन विद्युत कर वसूली खाद्य औषधि के निरीक्षकों कर्मचारियों अधिकारियों की मोबाइल फोनों के भी टेप कंपनियों से मांग कर उनके विश्लेषण करके देखें। की सरकारी माफिया निजी माफिया के साथ साठगांठ करके जनता को कैसे बर्बाद करने पर तुला हुआ है।

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत नगर निगम पालिकाओं को अपने खाद्य सुरक्षा अधिकारी रखने का अधिकार ही खत्म कर दिया गया और जो वहां कार्यरत थे। उन सबको शासकीय खाद्य एवं औषधि विभाग में संलग्न कर दिया गया था। यह कानून 5 अगस्त 2010 से पूरे भारत पर लागू हो गया था।

तू जैसी की रिपोर्ट छपी है भास्कर में कि जब पॉलिथीन वालों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई करने का मौका नहीं मिला तो उन्होंने जो कानून 5 अगस्त 2010 से खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम 1954 को समाप्त ही कर दिया था तो 6 साल पहले मतलब सन 2018 में आखिर निगम के खाद्य निरीक्षक गौतम भाटिया ने पॉलिथीन पर आखिर किस आधार पर विशेष न्यायालय में पॉलिथीन के अमानत होने के आधार पर प्रकरण फाइल कर दिया और कैसे वह प्रकरण न्यायालय में चल सका। जबकि खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम 1954 केवल खाद्य वस्तुओं के अपमिश्रण पर ही पर ही लगाया जा सकता है। और पॉलिथीन कौन सी खाद्य वस्तु है। ***इसके संबंध में भास्कर ने हीं जो शुक्रवार 6 सितंबर को छापा है उसकी कॉपी प्रस्तुत है।***

दूसरी तरफ यही हाल नगर निगम के पीली गाड़ियों का गिरोह सड़कों पर पद मार्गों और ठेलों पर व्यवसाय करने वालों को किस नियम कानून के अंतर्गत मारता पीटता ठेले तोड़ता उठाता सामान बटोरता फैंकता ले जाता है।

(शेष पेज 2 पर)

नगर निगम की भ्रष्टाचार का तांडव

एमवाय हॉस्पिटल के पीछे भ्रष्टाचार के लिए बीच में डाली पाइप लाइन

लोक निर्माण विभाग संभाग एक पत्र दे रहा पर नहीं सुन रहे भ्रष्ट जालसाज हरामखोर

मध्य प्रदेश के जाने-माने एम वाय चिकित्सालय में पीछे तुकूगंज की तरफ से रास्ते कोपिछले साल भर से ज्यादा समय से तोड़फोड़ कर बर्बाद कर दिया गया है उसका सड़क बनाने का ठेका लोक निर्माण विभाग संभाग क्रमांक एक के पास है। उसमें सड़क बनाने का ठेके मैं सड़क बनाने के पूर्वजो कॉलोनी बनी हुई है उसमें दोनों तरफ दांये-बांये अलग-अलग नगर निगम के ठेकेदार को दोनों तरफ खुदाई करके अलग-अलग पाइपलाइन डाली जानी चाहिए थी परंतु भ्रष्टाचार करने पैसे बचाने के लिए ठेकेदार ने ठीक सड़क के बीच में से पाइपलाइन खोज कर दोनों पाइप लाइन एचडीपीई प्लास्टिक की डाल दी है जिसको फोटो में देखा जा सकता है।

अब यदि पाइपलाइन डालने के बाद में उसमें जिस प्रकार से कॉम्पेक्शन करना था भारी करनी थी वह भी नहीं की गई और ठेकेदार के साथ वहां का पार्षद लोक निर्माण विभाग के इंजीनियरों पर दबाव बना रहा है कि आप जल्दी से जल्दी सड़क बना देअब यदि लोक निर्माण विभाग संभाग एक के कार्यपालन यंत्री मनोज सक्सेना वहां पर सड़क बना देते हैं तो सड़क परवाहनों के दबाव से वह पाइपलाइन फूटेंगी और फूटने के बाद में पुनः सड़क को बर्बाद कर खोदना पड़ेगा। ताकि नई कनेक्शन के साथ-साथ पाइप लाइन टूटने फूटने पर कुछ सुधार कार्य किया जा सके।

यह पत्र नगर निगम के जलापूर्ति विभाग के कार्यपालन यंत्री संजीव श्रीवास्तव को लिखा गया। परंतुइतना समय गुजर जाने के बाद भी भ्रष्टाचार को पालने और खुदाई की मोटी रकम बचाने के लिए उसे पर नगर निगम के आयुक्त से लेकर संजीव श्रीवास्तव तक ठेकेदार पर कोई कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं। उल्टे ही विभाग के एसडीओ और upn3 पर ठेकेदार पार्षद -निगम के अधिकारी जानबूझकर जबकि सारा काम गलत किया गया है सड़क बनाने के लिए दबाव डाल रहे हैं।

साप्ताहिक
समय माया
samaymaya.com

करोड़ों किसानों मजदूरों छोटे व्यवसायियों उद्योगों, सरकारी कर्मचारियों अधिकारियों ठेका संविदा कर्मियों के हितों की रक्षा व देशी विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के षड्यंत्रों के विरुद्ध पिछले 25 वर्षों से संघर्षरत

साप्ताहिक समयमाया समाचार पत्र व samaymaya.com की वेबसाइट पर समाचार, शिकायतें और विज्ञापन (प्रिंट एवं वीडियो) के लिए संपर्क करें

मप्र के समस्त जिलों में एजेंसी देना है एवं संवाददाता नियुक्त करना है

मो. 9425125569 / 9479535569

ईमेल: samaymaya@gmail.com
samaymaya@rediff.com

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक- अजमेरा एस.पी. कुमार द्वारा अपनी दुनिया प्रिंटर्स, 13 प्रेस कॉम्प्लेक्स, ए.बी. रोड, इंदौर से मुद्रित एवं 299, अम्बेडकर नगर, इंदौर (म.प्र.) से प्रकाशित।
संपादकः अजमेरा एस.पी. कुमार, मो. 9425125569, भोपाल प्रतिनिधि- एस.के. भारद्वाज मो. 9425637958